RBE No. 21/2012

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

NO.E (G) 2008 QR1-14(CGA) **New Delhi, Date: 16 -02-2012**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(*As per standard list*).

Sub: Relaxation in retention of Railway quarter by the compassionate appointees in case of missing Railway servants.
Ref: Railway Board's letter No. E(G) 2001 QR1-17 Dated 17-07-2002.

The issue of grant of relaxation in quarter retention to the spouse/wards of missing Railway employees beyond the existing retention period of maximum two (01+01) years granted under Board's above referred letter has been under consideration of Board for quite some time.

2. It has been decided that **a relaxation of six months in retention of Railway quarter in case of compassionate appointment to the wards/spouse of the missing Railway employees where employee is missing and compassionate appointment begins after 02 years from the date of missing/lodge of F.I.R. may be allowed thus making the normal permissible period as two years and six months subject to the conditions laid down in the original letter dated 17-07-2002. The six months additional extension, so granted, is further extendable by another six months, only with the approval of the General Manager of the concerned Railway, in cases where finalization of compassionate appointment gets delayed thereby making the maximum period of retention on normal rent as three (1+1+1/2+1/2) years.**

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(P.P.Sharma)
Executive Director Estt.(Gen.)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 21/2012

सं.ई (जी) 2008 क्यूआर1-14 (सीजीए) नई दिल्ली,दिनांक 16.02.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : लापता रेल सेवकों के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने के संबंध में छूट प्रदान करना.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.07.2002 का पत्र सं.ई(जी) 2001 क्यूआर1-17.

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के तहत लापता रेलवे कर्मचारियों के स्पाउज/आश्रितों को क्वार्टर अपने पास रखने के लिए प्रदान की गई अधिकतम दो (01+01) वर्ष की मौजूदा अवधि के बाद क्वार्टर अपने पास रखने के संबंध में छूट प्रदान करने का मुद्दा कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहा है।

2. यह विनिश्चय किया गया है कि लापता रेल कर्मचारियों के आश्रितों/स्पाउज की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के ऐसे मामलों में, जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, कर्मचारी के लापता होने/एफआईआर दायर करने की तारीख से 2 वर्ष के बाद की जाती है, रेलवे क्वार्टर अपने पास रखने के संबंध में दिनांक 17.07.2002 के मूल पत्र में निर्धारित शर्त के अध्यधीन छह महीने की छूट दी जाए। इस प्रकार, सामान्य अनुमेय अवधि दो वर्ष और छह महीने बनती है । इस प्रकार प्रदान की गई छह महीने की अतिरिक्त अवधि को संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक के अनुमोदन से उस स्थिति में छह माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने में विलम्ब हो और ऐसी स्थिति में सामान्य किराए पर क्वार्टर रखने की अधिकतम अवधि तीन (1+1+1/2+1/2) वर्ष होगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें ।

(पी.पी. शर्मा)
कार्यपालक निदेशक, स्था.(सा.)

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\sta\Hindi-G-N Letter.doc